"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ दुर्ग. सी. ओ. रायपुर 17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2004—आश्विन 23, शक 1926

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2004

क्रमांक एफ 2-27/2004/1-8.—श्री टी. पी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी गई है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय,** मुख्य सचिव.



नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

सत्यप्रति प्रमाणित

Dy. Director
Govt. Regional Press
Rajnandgaon (C. G.)

### परीक्षा केन्द्र रायपुर

| अनु. (1) | परीक्षार्थी का नाम (2) | पदनाम (3) | उत्तीर्ण होने का स्तर (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री अधीनराम ध्रुव | राजस्व निरीक्षक | प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर |
| 2. | श्री होल्कर सिंह ठाकुर | राजस्व निरीक्षक | प्रथम में निम्नस्तर |

### परीक्षा केन्द्र बस्तर ( जगदलपुर )

| अनु. (1) | परीक्षार्थी का नाम (2) | पदनाम (3) | उत्तीर्ण होने का स्तर (4) |
|---|---|---|---|
| 3. | श्री छनऊराम भूआर्य | राजस्व निरीक्षक | प्रथम एवं तृतीय में निम्नस्तर |
| 4. | श्री दिवाकर प्रसाद पाण्डे | राजस्व निरीक्षक | प्रथम में उच्चस्तर |
| 5. | श्री चितरंजन दास | राजस्व निरीक्षक | प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर |
| 6. | श्री सुभाष चन्द्र मण्डल | राजस्व निरीक्षक | प्रथम में निम्नस्तर |
| 7. | सुश्री सतरूपा साहू | राजस्व निरीक्षक | प्रथम में निम्नस्तर |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

## आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2004

क्रमांक डी-5972/3136/25-2/2004/आजावि.—राज्य शासन एतद्द्वारा पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में सरल क्रमांक 33 (अ) पर अंकित काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर तथा कोरी के आगे काईर शब्द स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. पाण्डेय, विशेष सचिव.

प्रतिलिपि सत्यापित

Dy. Director
Govt. Regional Press
Rajnandgaon (C. G.)

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2005—भाद्र 25, शक 1927

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री नन्द कुमार, भा.प्र.से. (एमएच : 1989), छत्तीसगढ़ राज्य में अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार) के पद पर कार्यरत है. महाराष्ट्र सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई के पत्र क्रमांक डीईपी-1004/सी.आर. 28/2004/X, दिनांक 7-6-2005 के द्वारा श्री नन्द कुमार, को अधिसमय वेतनमान रु. 18400-500-22400/- में (छत्तीसगढ़ राज्य में अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर होने के फलस्वरूप) पदोन्नति हेतु दिनांक 1-6-2005 से उपयुक्त पाया गया है.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

Dy. Director
Govt. Regional Pre
Rajnandgaon (C.G.)

## आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2005

क्रमांक/डी-5067/1109/2005/आजावि.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/डी-3588/1109/2003/आजावि दिनांक 31 जुलाई, 2003 के कैफियत कालम में अंकित ''यह जाति मुख्यत: रायगढ़ जिले में उड़ीसा राज्य से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करती हैं'' को एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है. तद् अनुसार पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची के सरल क्रमांक 90 में अंकित भूलिया-भोलिया जाति का विवरण निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

| जाति का नाम | जाति का परम्परागत व्यवसाय | कैफियत |
|---|---|---|
| भूलिया-भोलिया | सूती कपड़ा बुनना | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह, विशेष सचिव.

---

## LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
### Mantralaya, Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2005

फा. क्रमांक 6997/21-ब/छ.ग./05.—छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम क्रमांक 29) की धारा 4 की उपधारा (1) (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, अध्यक्ष के परामर्श से श्री एन. एस. राजपूत, न्यायिक सदस्य को तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण का उपाध्यक्ष पदाभिहित करती है.

F. No. 6997/XXI-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1 A) of Section 4 of the Chhattisgarh Madhyastam Adhikaran Adhiniyam, 1983 (Act No. 23 of 1983), the State Government in consultation with the Chairman hereby designates Shri N. S. Rajput, Judicial Member as Vice Chairman of the Chhattigarh Arbitration Tribunal with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2005

क्रमांक 7025/1624/21-ब/छ.ग./05.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्रमांक 15 सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, धर्म कर्म कराने वाले (मिनिस्टर आफ रिलीजन) पास्टर श्री जी. ए. कुमार बापिस्ट, चर्च भिलाई को छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में :—

प्रमाणित प्रतिलिपि
Dy. Director
Govt. Regional Press
Rajnandgaon (C. G.)

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2009—भाद्र 27, शक 1931

विषय-—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2009

**क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—** श्री एस. पी. शोरी, भा. प्र. से. (2000), उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.**

सत्यप्रतिलिपि
Dy. Director
Govt. Regional Press
Rajnandgaon (C. G.)



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित

## वित्त एवं योजना विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2009

क्रमांक/एफ-1-22/2008/स्था./चार.—छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के अधीन दिनांक 01-11-2009 से संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, अंबिकापुर (सरगुजा) का कार्यालय खोला जा रहा है. संभागीय, संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के इस कार्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण सरगुजा राजस्व मंडल होगा.

No./F-1-22/2008/ESTT./IV.—Government of Chhattisgarh, Finance Department is pleased to open the Office of Divisional Joint Director, Treasuries, Accounts & Pension, Ambikapur (Surguja) w.e.f. 01-11-2009 under the Directorate of Treasuries, Accounts & Pension, Chhattisgarh. This Office of Divisional Joint Director, shall have jurisdiction over Surguja Revenue Division.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजयेन्द्र, सचिव.

---

## आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2009

क्रमांक/एफ-10-3/25-3/09/आजाति.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 23 में सम्मिलित "गड़रिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल बघेले)" के पश्चात् "गड़ेरी" को स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

---

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 26/अ-82/वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

Dy. [illegible]
Govt. Regional Press
Rajnandgaon (C. G.)

छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत डाक व्यय के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जून 2012— ज्येष्ठ 11, शक 1934

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—सुश्री शिखा राजपूत, भा.प्र.से. (2008) अपर कलेक्टर, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री चंद्रकांत उइके, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अपर कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.



नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

Dy. Director
Govt. Regional Press
Rajnandgaon (C. G.)

## ऊर्जा विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मई 2012

क्रमांक एफ 1-9/2008/13-1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 (iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री सी. पी. पांडे, संचालक, परियोजना, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित जिनकी मूल पदस्थापना विद्युत उत्पादन कंपनी में कार्यपालक निदेशक के पद पर है, चूंकि श्री पांडे की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर दिनांक 30-04-2012 को उक्त पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं अतः राज्य शासन उन्हें संचालक परियोजना के पद से कार्यमुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

## आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्रमांक/एफ 10-4/2012/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के सरल क्रमांक 01 पर अंकित जातियों अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी (ग्वारी) गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत के बाद "यादव, राऊत एवं ग्वाला" जातियों को सम्मिलित करता है, विवरण एवं कैफियत निम्नानुसार है :—

| स. क्र. (1) | जाति का नाम (2) | परम्परागत व्यवसाय (3) | कैफियत (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | यादव | पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय करने वाली जाति | इसमें यादव राजपूत शामिल नहीं हैं. |
| 2. | राऊत | पशुपालन, दुग्ध विक्रय एवं गाय, बैल, भैंस आदि पशु चराना. | इसमें ब्राम्हण राऊत एवं राजपूत राऊत शामिल नहीं है. |
| 3. | ग्वाला | —,,— | —,,— |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

Dy. Director
Govt. Regional Press
Rajnandgaon (C. G.)